न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :– बनाम अप्रार्थीगण :–

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1. हरजीराम पुत्र रामूराम जाति बावरी निवासी कुलियाना तह. परबतसर	1. जगदीश प्रसाद पुत्र हीराराम 2. बंशीलाल पुत्र हीरारलाल 3. मदनमोहन पुत्र हीरालाल 4. श्यामसुन्दर पुत्र हीरालाल 5. सुमेरचन्द पुत्र हीरालाल सभी निवासी कुलियाना तह. परबतसर 6. तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री रिषी बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

मुकदमां नम्बर 2021/291 निर्णय दिनांक :– 09.04.2025

निर्णय

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कुलियाना पटवार हल्का रिड़ परबतसर में खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.7200 हैक्टर, खसरा नम्बर 160/2 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा नम्बर 161/2 रकबा 0.6100 हैक्टर, खसरा नम्बर 165/2 रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 158 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 149 व 150 दक्षिणी दिशा की सींव की तरफ से होते हुए रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की गई है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी लाल शर्मा ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके परिवारजन अपने खेत खसरा संख्या 158 व 158/1 में आने जाने के लिए 50 साल से अधिक समय से खेत

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

खसरा नम्बर 143, 147 की पश्चिमी सींव के पास से आते जाते रहे है। आज दिवस तक जब भी प्रार्थीगण के खेत व रहवासी ढाणी में कोई कार्य हुआ है तब खेत खसरा संख्या 143, 147 की सींव के पास से ही प्रार्थी के खेत व रहवासी ढाणी में प्राईवेट व सरकारी वाहनों का आना जाना रहा है। अप्रार्थी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 149 व 150 में से कभी भी प्रार्थी का आना–जाना नहीं रहा है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 149, 150 के उत्तरी सींव पर मुख्य सड़क पर वर्षो पुराना ऐनिकट बना हुआ है। उक्त स्थान पर रास्ता कायम किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वारा बनाया गया वर्षो पुराना ऐनिकट तोड़ा जायेगा जिससे प्रार्थी के खेत में दुसरे खेतों से आने वाला पानी आगे जाकर जालियों की ढाणी में चला जायेगा। प्रार्थी ने रास्ते की मांग अप्रार्थीगण को तंग व परेंशान करने की नियत से की गई है।

3. हमने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधिक सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खसरा नम्बर 158, 160/2, 61/2 165/2 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, खसरा नम्बर 148,149,150 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 01.02.2023 को प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों ने आपत्ति पेश की गई जिस पर उभय पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 03/01/2023 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट में ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच,आई तथा जे,के,एल,एम दो अलग–अलग रास्ते प्रस्तावित किये गये है, दोनों ही खसरा नम्बर 165/2 तक ही प्रस्तावित किये गये है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 158 तक रास्ते की मांग की है तथा जहा प्रस्तावित रास्ता मार्क ए है, के स्थान पर अप्रार्थीगण ने एनिकट होना बताया है जहां से रास्ता दिया जाता है तो ऐनिकट टूट जायेगा। इस प्रकार दोनो पक्षों का एतराज उचित प्रतित होने से उभय पक्षकारों को विधिवत रूप से पुनः सूचित कर नायब तहसीलदार पीलवा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पुनः मौका

रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 18.04.2023 की मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण की और से आपत्ति पेश की गई नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई जिसके अनुसार मौका कमिश्नर द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर मार्क ए से बी होकर खसरा नम्बर 158 के लिए रास्ता बताया है जो पूर्व में की गई आपत्ति के अनुसार सही नहीं है मार्क ए पर पुनः ऐनिकट होना जाहिर किया है साथ ही मौका कमिश्नर ने प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 158 व 158/1 में आने जाने के लिए 50 साल से अधिक समय से खेत खसरा संख्या 143 व 147 की पश्चिमी सींव से आते जाते रहे है उक्त रास्ते को मौका रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। वकील प्रार्थी ने जवाब आपत्ति पेश कर निवेदन किया है कि पुनः तैयार मौका रिपोर्ट में मार्क ए से ब होकर खसरा नम्बर 158 के लिए रास्ता बताया है जो बिल्कुल सही है बकाया पैरा संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है व प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते की बीच में कोई ऐनिकट नहीं है तथा पैरा संख्या 3 भी गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी कई वर्षों से ए से बी चाहे गए रास्ते से ही अपने खेत खसरा नम्बर 158 में आता जाता रहा है। इस प्रकार जवाब पेश होने के पश्चात बहस आपत्ति उभय पक्षकारों की सुनी गई। आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मौके पर ऐनिकट की वर्तमान स्थिति हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 04.03.2025 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 150 में प्रस्तावित मार्ग कि भूमि में किसी भी प्रकार के ऐनिकेट का निर्माण होना मौके पर नहीं पाया गया।

5. रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने जहां से रास्ते की मांग की है वह सबसे नजदीकी रास्ता है जिसकी लम्बाई 199 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 251ए में प्रतिपादित नियमों के तहत सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 के अनुसार खसरा नम्बर 150 में से पश्चिमी व दक्षिणी सींव पर जिसकी लम्बाई 199 मीटर व चौडाई 6 मीटर मार्क ए से बी के रूप में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अधिकारी

आदेश

6\. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम कुलियाना पटवार हल्का रिड़ परबतसर में प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.7200 हैक्टर में मौका रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 के अनुसार मार्क ए से बी खसरा नम्बर 158 में आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट में वर्णित नाप--चौक के अनुसार 20 फुट रास्ता खातेदारों की खातेदारी से कम कर गै.मु. रास्ता राजकीय भूमि दर्ज किया जावे। रास्ते में गई भूमि के बदले वर्तमान डी.एल.सी की दो गुणा राशि वसूल कर सम्बन्धित खातेदारान को भूगतान किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर